

भा.वा.अ.शि.प.-वर्षा वन अनुसंधान संस्थान

ICFRE-RAIN FOREST RESEARCH INSTITUTE

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद

Indian Council of Forestry Research and Education

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार

(Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India) देववन, सोताइ, जोरहाट-

785010 (असम)/Deovan, Sotai, Jorhat-785010 (Assam)

ई मेल/E-Mail ID: [dir\\_rfri@icfre.org](mailto:dir_rfri@icfre.org)



संख्या/ No.3/213/2015-Estt./Vol.XV/

दिनांक/ Dated: 09/03/2026

## सूचना/ NOTICE

इस संस्थान के 30 दिसंबर, 2025 और 04 फरवरी, 2026 के नोटिसों के अनुक्रम में और डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 39020/01/2016-स्था. के अनुसरण में दिनांक 21/12/2020, MoEF&CC F. No. 2-12/2022-FE (e-190691) दिनांक 5 अप्रैल, 2023 और ICFRE पत्र संख्या 63-25/2022-ICFRE (भाग फाइल) दिनांक 26.06.2023 के अनुसार, यह संस्थान 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स (वेतन बैंड-1: रु. 5200-20200 प्लस ग्रेड वेतन रु. 1800/-) के लेवल-1 में यूआर-03 और एससी-01 की श्रेणियों में मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के 04 (चार) रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में है। गैर-अनुशंसित इच्छुक उम्मीदवारों की सूची का उपयोग करके, जिनके नाम कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ परीक्षा, 2024 की रिपोर्ट में प्रकाशित किए गए थे।

In continuation of this Institute's Notices dated 30<sup>th</sup> December, 2025 and 04<sup>th</sup> February, 2026, and in pursuance of DoPT O.M. No. 39020/01/2016-Estt. dated 21/12/2020, MoEF&CC F. No. 2-12/2022-FE (e-190691) dated 5th April, 2023 and ICFRE letter No. 63-25/2022-ICFRE (Part File) dated 26.06.2023, this Institute is in the process of filling up 04 (four) vacant posts of Multi Tasking Staff (MTS) in the categories of UR-03 and SC-01 in Level-1 of the 7th CPC Pay Matrix (Pay Band-1: Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 1800/-) by utilizing the list of Non-recommended willing candidates whose names were published in the report of the Multi Tasking (Non-Technical) Staff Examination, 2024 by the Staff Selection Commission on its official website.

जिन उम्मीदवारों को मल्टी टास्किंग स्टाफ 2024 की गैर-अनुशंसित इच्छुक उम्मीदवार सूची में अपना नाम उल्लेखित ईमेल के माध्यम से भेजा गया है और जो उपरोक्त पद पर शामिल होने के इच्छुक हैं तथा अपेक्षित योग्यता एवं आयु मानदंड को पूरा करते हैं, उन्हें 25/03/2026 को यूआर के लिए तथा 26/03/2026 को एससी के लिए सुबह 10.00 बजे आईसीएफआरई-रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पोस्ट ऑफिस चैनियन, देवान, सोताइ, जोरहाट-785010 (असम) में अपने मूल शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों और एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस / ईएसएम / पीडब्ल्यूबीडी के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों (नवीनतम) के साथ उपस्थित होना होगा। उम्मीदवारों को व्यक्तिगत पहचान के लिए एक वैध फोटो आईडी और उपरोक्त उल्लिखित दस्तावेजों की 02 फोटोकॉपी के साथ एक हालिया पासपोर्ट रंगीन फोटो भी प्रस्तुत करनी होगी।

All candidates to whom **email has been sent** with their names mentioned in non-recommended willing candidate list of Multi Tasking Staff 2024 available on (<https://ssc.gov.in/home/public-disclosure>) and willing to join the above mentioned post and fulfilling the requisite qualifications and age criteria, should present themselves on 25/03/2026 for UR and 26/03/2026 for SC at 10.00 am at ICFRE-Rain Forest Research Institute P.O. Chenijan, Deovan, Sotai, Jorhat-785010 (Assam) along with original documents of educational qualification and certificates issued by the competent authority (latest) in case of SC/ST/OBC/EWS/ESM/PWBD. Candidates should also produce a valid photo ID for personal identification and one recent passport colored photograph along with 02 photocopies of above mentioned documents.

सत्यापन के बाद, एसएससी गैर-अनुशंसित इच्छुक उम्मीदवारों की मेरिट सूची के आधार पर एक श्रेणीवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जो उपरोक्त शर्तों को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं और पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और फिर मल्टी-टास्किंग स्टाफ के लिए नियुक्ति की पेशकश करते हैं। संबंधित श्रेणियों में रिक्तियों की संख्या तक सीमित।

After verification, a category wise merit list will be prepared based on SSC non-recommended willing candidates merit list of all the candidates who successfully meet the above conditions and fulfill the

eligibility criteria and then offer of Appointment for Multi-Tasking Staff will be issued limited to the number of vacancies in the respective categories.

**कृपया ध्यान दें कि यह नोटिस केवल मल्टी-टारकिंग स्टाफ (एमटीएस) के पद के लिए दस्तावेज़ सत्यापन के उद्देश्य से जारी किया गया है और नियुक्ति या रोजगार का कोई अधिकार नहीं देता है।**

**Please note that this notice is issued solely for the purpose of document verification for the post of Multi-Tasking Staff (MTS) and does not confer any right to appointment or employment.**

### सामान्य निर्देश/ General instructions

1. भर्ती से संबंधित सभी विवाद केवल जोरहाट क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे/ *All disputes related to recruitment shall be subject to the Jorhat Jurisdiction only.*
2. यदि उम्मीदवार सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्दिष्ट समय और स्थान पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने में विफल रहता है, तो उसकी उम्मीदवारी को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में बाद में किसी भी स्तर पर विचार नहीं किया जाएगा। *If the candidate fails to be physically present on the designated time and place along with all the necessary documents, his/her candidature shall be summarily rejected and shall not be considered later at any stage under any circumstances.*
3. दस्तावेजों के सत्यापन के बाद यदि चयन बाद में किया जाता है, तो नियुक्ति विशुद्ध रूप से अगले आदेशों तक अस्थायी आधार पर होगी और स्थायी रोजगार को कोई शीर्षक नहीं देगी। उम्मीदवार नियुक्ति की तारीख से दो साल की अवधि के लिए परीक्षा पर होगा और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियमों के अनुसार परीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है। *After verification of documents if selection is done subsequently, the appointment shall be purely on temporary basis until further orders and will not confer any title to permanent employment. The candidate will be on probation for a period of two years from the date of appointment and the probation period may be extended, as per rules, by the appointing authority.*
4. सेवा के अन्य सभी नियम और शर्तें समय-समय पर आईसीएफआरई द्वारा शासित होंगी/ *All other terms and conditions of the service will be governed by ICFRE from time to time.*
5. यदि उम्मीदवार पहले से ही कार्यरत है, तो वह अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करेगा नियोक्ता से जिसके बिना उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा/ *If the candidate is already employed, he/she would produce a No objection certificate (N.O.C.) from the employer without which his/her candidature shall not be entertained.*
6. कृपया ध्यान दें कि यदि उम्मीदवार का चयन बाद में किया जाता है, तो नियुक्ति अनंतिम होगी और उचित चैनलों के माध्यम से लागू होने पर अनुसूची जाति/अनुसूची जनजाति/ओबीसी/दिव्यांग/ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन होगी और यदि दावा एससी/एसटी/ओबीसी/दिव्यांगजन/ईडब्ल्यूएस से संबंधित है किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो सेवाओं को बिना कोई कारण बताए और इस तरह की आगे की कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समाप्त कर दिया जाएगा जो झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत की जा सकती है। *Kindly note that if the candidate is selected subsequently, the appointment will be provisional and will be subject to verification of the Schedule Caste/Schedule Tribe/OBC/Divyangian/EWS Certificate, if applicable through proper channels and that if the claim to belong to SC/ST/OBC/Divyangjan/EWS is found to be false at any stage, the services will be terminated forthwith without assigning any reason and without prejudice to such further action that may be taken under the Bhartiya Nyaya Sanhita 2023 for production of false certificates.*
7. यदि उम्मीदवारों द्वारा दी गई कोई घोषणा या दी गई जानकारी झूठी साबित होती है या यदि वे किसी सामग्री/जानकारी को जानबूझकर दबा देते हैं, तो वे सेवा से हटाने के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी अन्य कार्रवाई जो सरकार/परिषद आवश्यक समझे। *If any declaration given or information furnished by the candidates proves to be false or if they are found to have willfully suppressed any material/information, they will be liable for removal from service and such other action as Govt./Council may deem necessary.*

8. यदि बाद में चुना जाता है, तो नियुक्ति इस परिषद की नई परिभाषित योगदान पेंशन योजना (एनपीएस) यानी भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा शासित होगी/ *If selected subsequently, the appointment will be governed by the New Defined Contribution Pension Scheme (NPS) of this Council i.e., Indian Council of Forestry Research & Education.*

9. यह प्रस्ताव पुलिस सत्यापन और चरित्र पूर्ववृत्त के अधीन है, जिसे यदि बाद में किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आप सेवा से हटाने और सरकार / परिषद के रूप में ऐसी अन्य कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे/ *The offer is subject to Police verification and character antecedents, which if found false at any later stage, you will be liable for removal from service and such other action as Govt./Council may deem necessary.*

10. वयनित उम्मीदवारों को मुख्य रूप से आइजोल और अगरतला में अपने केंद्रों सहित आईसीएफआरई-वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट, असम में काम करना होगा। हालांकि, नियुक्ति भारत में कहीं भी सेवा करने का दायित्व रखती है/ *The selected candidates will be primarily required to work in ICFRE-Rain Forest Research Institute, Jorhat, Assam including its Centers at Aizawl and Agartala. However, the appointment carries with it the liability to serve anywhere in India.*

11. आईसीएफआरई-वर्षा वन अनुसंधान संस्थान में उपर्युक्त तारीखों पर दस्तावेज़ सत्यापन में भाग लेने के लिए कोई टीए/डीए प्रदान नहीं किया जाएगा/अनुमति नहीं दी जाएगी/ *No TA/ DA will be granted/ allowed for attending Document Verification on above-mentioned dates at ICFRE-Rain Forest Research Institute.*

12. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांग/पूर्व सैनिकों के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति और आय प्रमाण पत्र (जैसा लागू हो) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम प्रारूप में होना चाहिए/ *Caste & income certificate (as applies) issued by the competent authority in case of Scheduled Caste/ Schedule Tribe/ Other Backward Classes/ Economically Weaker Section/ Divyangian/ Ex-servicemen must be in the latest format as prescribed by the central govt.*

13. आईसीएफआरई-वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट के निदेशक का निर्णय दस्तावेजों के सत्यापन प्रक्रिया को रद्द करने से संबंधित सभी मामलों में अधिकार सुरक्षित रखता है और सभी या किसी भी पद को नहीं भरना अंतिम होगा/ *The decision of the Director, ICFRE-Rain Forest Research Institute, Jorhat reserves the right in all matters relating to cancellation of documents verification process and not to fill up all or any posts will be final.*

निदेशक/ DIRECTOR

भा.वा.अ.शि.प.-वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट / ICFRE-Rain Forest Research Institute, Jorhat